

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

द्वारा :- (X) वित्त विभाग।

पटना-15, दिनांक-...../12/2017

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्कीम मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्यप्राणी, मांग संख्या-19 के कतिपय उप शीर्षों के अन्तर्गत कुल ₹4000/- (चार हजार रुपये) मात्र टोकन मनी के रूप में बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्कीम मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्यप्राणी, मांग संख्या-19 के कतिपय उप शीर्षों के अन्तर्गत कुल ₹4000/- (चार हजार रुपये) मात्र टोकन मनी के रूप में निम्न प्रकार विषय शीर्षवार बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	टोकन मनी के रूप में स्वीकृत अग्रिम राशि
1	राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना	02 01	₹ 1000/-
	19-2406041010303 (राज्यांश)	21 01	₹ 1000/-
2	राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना	02 01	₹ 1000/-
	19-2406041010203 (केन्द्रांश)	21 01	₹ 1000/-
		कुल	₹ 4000/-

2. यह राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट शीर्ष-खण्ड-11-8000-आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत विपत्र कोड-19-2406041010303 (राज्यांश) के विषय शीर्ष-0303.02.01-मजदूरी एवं 0303.21.01-सामग्री एवं पूतियाँ तथा विपत्र कोड-19-2406041010203 (केन्द्रांश) के विषय शीर्ष-0203.02.01-मजदूरी एवं 0203.21.01-सामग्री एवं पूतियाँ से विकलनीय है, जो वित्त विभाग के क्रमशः ज्ञाप संख्या ब-14/बी०सी०एफ०-276/2017 दिनांक-19.12.2017 द्वारा अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2017-18 में तृतीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंध कराकर स्वीकृत राशि का सामंजन संपूर्ण बजट पारित होने के उपरान्त कुल उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. आकस्मिकता निधि से उक्त उप शीर्षवार स्वीकृत राशि की निकासी हेतु अलग से विपत्र तैयार किया जायेगा जिसपर बड़े अछरों में लाल स्याही से प्रत्येक विपत्र पर बजट शीर्ष- खण्ड-II-8000-आकस्मिकता निधि, संबंधित मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/माँग संख्या/उप शीर्ष/विपत्र कोड एवं विषय शीर्ष अंकित करना होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह०/-

(त्रिपुरारि शरण)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-49/2015 प।।०/प०व० पटना-15, दिनांक-~~28~~ /12/2017

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई.टी. मैनेजर पर्यावरण एवं वन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(त्रिपुरारि शरण)

सरकार के प्रधान सचिव

